

STANDARD PRE-QUALIFYING CONDITIONS FOR TENDERERS (PQR)

(Shall be produced in Part-I)

NAME OF WORK: Civil works related to increasing capacity from (2x40+1x20) MVA to (2x40+1x63) MVA at 132 KV Sub-Station Rajapkar, Kushinagar.

Work Qualifications

1. Tendering firm should have experience of having successfully completed similar nature works during last 7 years ending last day of month before one in which applications are invited and should be either of the following in Government/Semi Government/PSUs :-
 - A. Three similar completed works each costing not less than the amount equal to 40% of the estimated cost.
 - or
 - B. Two similar completed works each costing not less than the amount equal to 50% of the estimated cost.
 - or
 - C. One similar completed work costing not less than the amount equal to 80% of the estimated cost.

Similar nature work means: -

| S. N. | Name of work | Similar Works |
|-------|--|--|
| 1 | Civil works related to increasing capacity from (2x40+1x20) MVA to (2x40+1x63) MVA at 132 KV Sub-Station Rajapkar, Kushinagar. | Bidder shall have experience in civil works of construction in 132 KV or higher voltage Sub Station switch yard area works i.e. main gantry/auxiliary foundation/capacitor Banks/Cable Trench/other switchyard related structures foundations. |

Financial Qualifications (shall be produced in Part-I)

- 1.1 The Minimum Average Annual Turnover* (MAAT) will be taken as Average of the Best Three Financial Years Turnover out of the Last Five financial years preceding to the year of NIT is published. In case the Applicant is in existence for less than five financial years the minimum average annual turnover shall be average of the turnover of the completed no. of financial years. The Applicant who is in existence for less than one complete financial year shall not be qualified.
- 1.2 The Applicant shall have Liquid Assets (Cash at Bank & Fixed Deposit) and Un-Utilized credit facility (both Fund & Non Fund based) available from bank(s) duly certified by the Bank(s) at the end of Month preceding to the previous Month of Tender opening, shall not be less than 15% of Estimated cost.
- 1.3 Net worth of Applicant as per the audited financial results shall be positive on the last day of the preceding financial year. Net Worth means the sum total of the paid-up share capital and free reserves (excluding reserves created out of the revaluation of assets, write back of depreciation provisions and amalgamation & Capital Reserve) net of P&LA/C (Dr. balance) and miscellaneous expenses to the extent not adjusted or written off.
- 1.4 The Applicant shall furnish documentary evidence (Audited Annual Account & CA Certificate). CA Certificate without UDIN No. will not be considered in support of the qualifying requirement stipulated as above:

| Sl.No. | Financial Qualifications | (Rs. in Lakh.) |
|--------|--------------------------|-----------------------|
| 1 | MAAT | Estimated cost |
| 2 | LA | 15% of Estimated cost |
| 3 | Net Worth | Positive |

General Qualifications (shall be produced in Part-I)

1. The tenderer should produce experience statement showing the Name of Firm, name of work, Name of organization, Agreement Value, Executed Value, Penalty on work, executed in Central/State Government Departments and that should not be issued by officer below class-I rank (shall be produced in Part-I).
2. **Joint Venture: -**
 - A- Bids from Joint venture and Joint venture Experience are not allowed.
 - B- Experience of Joint Venture will not be considered).
3. **Litigation History & Non-Debarred/non-Blacklisted affidavit:-**The Bidder should not be debarred/blacklisted in any government utility in India & should not have any pending litigation with UPPTCL regarding any project or related activity. The bidder should certify/ declare the same in unequivocal terms by way of **an affidavit on Rs. 100.00 stamp paper duly sworn before a Magistrate/ Notary in Performa enclosed**. Bid furnished by the bidder shall not be eligible for consideration if it is not accompanied by the Affidavit. Further, the Bid/LOA/LOI shall be liable for outright rejection/ cancellation at any stage if any information contrary to the affidavit is detected (shall be produced in Part-I).
4. The tenderer should submit the following certificates in Part-I in readable form and self-signed, otherwise may result in rejection of tenderer bid: -
 - A- Certified & self-attested copy of UTR No. & other detail for tender cost & earnest money.
 - B- Valid character certificate issued by D.M/S.P (Self signed) (For partnership firm and Pvt. Ltd. firm Character certificate of All Directors will be required). Character certificate shall be valid on the date of opening to Part-I of Tender.
 - C- The bidder shall provide a copy of GST Registration Certificate (self signed). Also the bidder must have registration in HSN Code Mother Head 9954 or similar nature of work as applicable.
 - D- PAN Card and Aadhar Card Copy (Self signed).
 - E- ITR and GST return of last three years ending 31st March of the previous financial Year is also required along with financial Statement & Audited report with **UDIN Number** if applicable.
 - F- Work Experience/Financial Qualification/General Qualification as stated above.
 - G- Partnership deed in case of Partnership firms, certificate of registration of Pvt. Ltd. Co. (Self signed).
 - H- Financial Qualifications as stated above.
 - I- Registration Certificate of the firm issued by Labour Department.
5. In case of bid below Rs.2.00 Lakh's participants are exempted to produce experience and turn over certificate.
6. Any deviation in PQR if desired shall be approved by chief engineer (Civil).
7. Tenderer shall submit Mobile No., Email, Copy of Cancelled Cheque as a Proof of Valid Bank Account No. of Firm with IFSC No. of related bank for online transaction and Correspondence address.
8. Intimation will be sent via mail or by post for same tender ID for which tender has been submitted to the participants for any missing paper of above listed documents/clarification about any documents required as per PQR 01 to 10 days time will be given for this submission via email to this office or can submit documents physically in the office.

(Signature)
(Shatrughna Ram) 28/04/26
(Superintending Engineer)

**PROFORMA OF SELF DECLARATION-
BLACKLISTING/DEBARRING ACTION/LITIGATION
(Rs. 100.00 STAMP PAPER)**

Name of the Bidder: -----

e-Tender Notice No: -----

Sir,

1. I/We, the undersigned do hereby declare that, I/We have never failed to perform satisfactorily in any work of UPPTCL/ Govt. Of Uttar Pradesh /Central Govt./ in any Govt. funded Project during last three financial years (and the current financial year)and / or I/We do not stand currently debarred/blacklisted and not have any pending litigation with UPPTCL with regards to any project/works or related activity by any of the Electricity Transmission Utility / Generation Utility /UPPTCL / Govt. Of Uttar Pradesh/ Central Govt. of India
2. Further, I/We, the undersigned do hereby declare that I/We have not been declared as Insolvent or referred to National Company Law Tribunal (NCLT) under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016.
3. In the event, any information is found out contrary to the above either during the finalization of the tender or during the execution or in future after completion of the contract, My/Our bid / contract shall be liable for rejection / cancellation / termination without any notice with forfeiture of EMD/PG/Any amount that may be available with the department and I/We will be solely responsible for any legal/financial obligation which may arise due to this.


Yours faithfully,

Place-

Date-

Signature of the bidder
With seal

SEEN


SEEN 27/04/26

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

पूर्णकालिक ई-निविदा सूचना- 05/ECTC/GKP/2026-27

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु पृथक-पृथक ई-निविदाएं दो भागों में (प्रथम भाग में टेक्नीकल बिड के अन्तर्गत धरोहर धनराशि, निविदा शुल्क एवं संलग्न Pre-Qualification के अनुसार प्रपत्र तथा द्वितीय-भाग में फाइनेन्सियल बिड के अन्तर्गत मात्र निविदा दरों का विवरण होगा) सक्षम एवं अनुभवी ठेकेदारों से ई-टेंडरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> के माध्यम से ऑन लाइन आमंत्रित की जाती है।

| क्र.सं. | कार्य का नाम | कार्य की अनुमानित लागत (रु० लाख में) | कार्य अवधि | निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु०) | धरोहर धनराशि (रु०) | निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय | निविदा खोले जाने का समय |
|---------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| 01 | 132 के०वी० उपकेन्द्र राजापाकड़ कुशीनगर पर 132/33 के०वी० 63 एम०वी०ए० परिवर्तक से क्षमतावृद्धि का कार्य। | 6.73 (जी.एस.टी. अतिरिक्त) | 02 माह | 590.00 (जी.एस.टी. सहित) | 14000.00 | 05.06.2026 14.00 बजे तक | 06.06.2026 12.00 बजे |


- निविदा मूल्य एवं धरोहर धनराशि जो "Superintending Engineer, Electricity Civil Transmission Circle, Gorakhpur" के स्टेट बैंक आफ इंडिया, गोलघर, गोरखपुर के चालू खाते A/C No. 39356752800 (IFSC Code No. SBIN003205) में RTGS/NEFT के माध्यम से निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि एवं समय से पूर्व सीधे खाते में जमा की जायेगी। साक्ष्य के रूप में जोय्ज यू०टी०आर० सख्या, खातों का नाम, निर्गतकर्ता बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं निविदादाता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रति पार्ट-1 के साथ अपलोड करना अति आवश्यक होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, साथ ही निविदा प्रकाशित होने से पूर्व में जमा की गयी धरोहर धनराशि/धरोहर धनराशि से अधिक/किसी भी धनराशि पर विचार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता द्वारा विभाग की किसी अन्य निविदा में प्रतिभाग करते हुए EMD जमा की गयी है तो जमा की गयी EMD को बतमान निविदा में EMD के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी।
- यू०पी०पी०सी०एल०/सी०पी०डब्लू०डी०/एम०ई०एस०/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/रेलवे एवं अन्य सरकारी विभागों में पंजीकृत/अनुभवी ठेकेदार निविदा में भाग ले सकते हैं।
- निविदा में प्रतिभागी किसी भी निविदादाता का निविदा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा तथा कार्य की LOI निर्गत होने के पश्चात अन्य असफल निविदादाता की धरोहर धनराशि निर्गत की जायेगी।
- निविदादाता को सभी अभिलेखों को स्कैन कर निविदा के साथ ई-टेंडरिंग पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। Hard Copy स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
- उपरोक्त सभी कार्य को यू०पी०पी०डब्लू०डी०/यू०पी०पी०टी०सी०एल० की विशिष्टियों के अनुसार सम्पादित कराया जायेगा।
- निविदादाता की पात्रता संलग्न PQR के अनुसार मान्य होगी।
- निविदा की वैधता खुलने से चार माह तक होगी।
- निविदा समिति को पूर्ण अधिकार होगा की बिना कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त कर देने अथवा दो या दो से अधिक ठेकेदारों में विभक्त कर दे।
- निविदा का विवरण <http://upptcl.org> एवं <http://etender.up.nic.in> साइट पर देखा जा सकता है। कार्य की निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेब साइट <http://etender.up.nic.in> पर पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
- निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने या इन्टरनेट/तकनीकी/बाधित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- निविदादाता निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/शुद्धिपत्र हेतु ई-टेंडरिंग पोर्टल/वेब साइट पर सजग रहे/देख सकते हैं।
- शासनादेश संख्या 622/23-12-2012-2 आडिट/08 में निहित आदेशों के अनुसार परफॉरमेंस गारंटी (In the form of FDR only) जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- फर्म/ठेकेदार के प्रत्येक चलित बीजक से 10 प्रतिशत की सुरक्षा धनराशि काटी जायेगी जो कि कार्य के सफलता पूर्वक पूर्ण होने के 06 माह पश्चात/01 वर्ष ऋतु पश्चात जो भी बाद में हो के उपरान्त ही सुरक्षा धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- किसी भी सरकारी विभाग में काली सूची में दर्ज अथवा debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) हुये निविदाकार/फर्म निविदा में प्रतिभाग नहीं कर सकते। यदि काली सूची में दर्ज अथवा debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) हुये निविदाकार/फर्म निविदा प्राप्त कर लेता है एवं तत्पश्चात कार्य कराने के दौरान यदि काली सूची में दर्ज अथवा debarred (वंचित/विवर्जित/प्रतिबन्धित) होने की सूचना प्राप्त होती है अथवा निविदाकार द्वारा निविदा के साथ उपलब्ध/अपलोड किये गये प्रपत्रों में कमी पाये जाने पर निविदाकार/फर्म का अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार/फर्म की होगी तथा निविदाकार/फर्म के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय/कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
- लेबर सेस, रॉयल्टी एवं अन्य समस्त टैक्स की देयता फर्म/कान्ट्रेक्टर की होगी। विभाग द्वारा मात्र जी०एस०टी० का भुगतान किया जायेगा।
- खनन विभाग द्वारा जिन मटेरियल पर रायल्टी लागू है, कि रायल्टी प्रपत्र विभाग को जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियमानुसार कटौती का अनुबन्ध अन्तिम किया जायेगा।
- फर्म/ठेकेदार को अनुबन्धित अथवा विस्तारित समयावधि (अर्थात् कार्य पूर्ण हो तक) में लेबर एवं T&P पर Idling Charges अथवा ओवर हेड शुल्क देय नहीं होंगे।
- निविदाओं के मात्रा बीजक में ली गयी मात्राये अनुमानित हैं जिसमें किसी भी स्तर तक परिवर्तन सम्भव है।
- निविदादाता द्वारा डाली गयी दरें अनुबन्धित अथवा विस्तारित समयावधि में अपरिवर्तनीय रहेंगी।
- शासन द्वारा निर्धारित No Entry Zone में निर्धारित समय के अनुसार यदि कार्य बाधित होता है, उस स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी, विभाग द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
- अनुबन्ध के अन्तर्गत कृत कार्यों के सैम्पल टेस्ट विभाग के Engineer-In-charge के निर्देशानुसार मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान/ NABL जो भी निर्देशित किया जाएगा से आई०एस० कोड के मानक के अनुरूप फर्म/ठेकेदार के व्यय पर कराया/किया जाएगा।

28/04/26
SE 424

23. अनुबन्ध के अन्तर्गत कृत कार्यों के टेस्ट रिपोर्ट/वर्कमैनशिप संतोषजनक न पाये जाने पर उसे तोड़ने एवं उसका पुनः निर्माण बिना किसी अतिरिक्त देय के फर्म/ठेकेदार द्वारा किये जाने की अनिवार्यता होगी।
24. कार्य के दौरान निर्माण स्थल पर नियुक्त किये गये मानव शक्ति (लेबर, मेशन इत्यादि) की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी तथा किसी भी अग्रिम घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
25. ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के दौरान पारेषण/जानपद स्कन्ध के कर्मियों/अधिकारियों के साथ शालीन व्यवहार सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
26. निर्माण के लिये JCB मशीन इत्यादि सम्बन्धित J.E.(C)/SDO(C) के लिखित अनुमति से ही S/Yard ले जाया जायेगा। कोई दुर्घटना होने पर क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
27. कार्य के दौरान निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार जल निकासी का कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा।
28. कार्यस्थल पर जानपदीय कार्यों में प्रयोग होने वाले जल की व्यवस्था कार्यदायी संस्था को स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
29. श्रम विभाग में फर्म का रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा।
30. यह फर्म/ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह अनुबन्ध के अन्तर्गत जानपदीय कार्यों में उपयोग की गयी सभी खनन सामग्री पर सरकारी मानदण्डों के अनुसार रायल्टी (eMM-11 form) भुगतान का प्रमाण सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) को प्रदान करें।
31. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में उपलब्ध कराये गये तथ्यों में भ्रष्टि में यह प्रमाणित होता है कि निविदाकार ने तथ्यों को छुपाया गया है, तो उक्त निविदा/अनुबन्ध को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
32. LOI निर्गत होने के उपरान्त फर्म/ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध से पूर्व अनुबन्धित धनराशि का 5 प्रतिशत FDR के रूप में अग्रिम सुरक्षा धनराशि जमा करायी जानी होगी।
33. फर्म को निविदा में भाग लेने से पूर्व निर्माण स्थल का अवलोकन कर लेना चाहिये।

Email-Id - seectc.gkp@gmail.com

"राष्ट्र हित में बिजली बचाएँ"


28/04/26

अधीक्षण अभियन्ता

विद्युत जानपद पारेषण मण्डल,

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, गोरखपुर